उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/4824 /लेखा जबलपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक F/1517/4-01/2020/नियम/चार भोपाल दिनांक 28.11.2020, जो कि मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना के क्रियान्वयन के संबंध में है, की प्रतिलिपिः-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म०प्र०, खंडपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
2. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन/ न्यायिक-1 एवं 2/ डी०ई०/ व्ही०एल०/ इन्सपेक्शन एवं लिटिगेशन/परीक्षा एवं लेबर ज्यू०/सतर्कता/पी०पी०एस०/स्थापना) उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
5. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट(SA), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. बजट कन्ट्रोलिंग ऑफीसर, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
7. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउंटस, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) (समस्त), उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (समस्त), उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
11. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर, की ओर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संदर्भित योजना से अवगत कराने हेतु।
12. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक)/सेक्शन इंचार्ज (समस्त), उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
13. कैशियर (प्रशासन) उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
14. सहायक वेतन देयक/सहायक बजट उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
15. प्रभारी, आई.टी.विंग, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर की ओर, आदेश को उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र./एफ/1517/4-01/2020/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 28/नवम्बर/2020

प्रति,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय भोपाल
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन।

***

मध्यप्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उदेश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिये निम्नलिखित निर्णय लिये जा चुके हैं:-

(1) 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान

(2) विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत रूपये 10000 का अग्रिम योजना (40000 रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये)

2. राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में अब एक और निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज की योजना को प्रदेश में लागू किया जाये।

3. शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:-

(i). पात्रता : राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।

(ii) **प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता** : निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री/सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:-

शासकीय सेवक की श्रेणी	**विशेष नगद पैकेज (राशि रूपये में)**
1	2
प्रथम एवं द्वितीय	4000
तृतीय	3000
चतुर्थ	2000

(iii) **क्रय की शर्तें** : पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।

(iv) **प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना** : शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

(v) **प्रतिपूर्ति हेतु दावे** के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।

(vi) **योजना की अवधि** : आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) **स्वीकृतकर्ता अधिकारी** : कार्यालय प्रमुख।

(viii) **व्यय शीर्ष** : वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य भत्ते

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/11/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर।

विषयः– विशेष नगद पैकेज योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति बाबत।

महोदय,

अनुरोध है कि शासन की विशेष नगद पैकेज योजना के अंतर्गत मेरी श्रेणी अनुसार मुझे प्रतिपूर्ति करने की कृपा करें। मेरे द्वारा क्रय की गई सामग्री/सेवाओं का पूर्ण विवरण (क्रय का देयक/कैश मेमो एवं डिजिटल भुगतान के प्रमाण की प्रति सहित) निम्नानुसार हैः–

व्यक्तिगत विवरण			
नाम		पद	
यूनीक कोड		श्रेणी	
क्रय का विवरण			
वेंडर/दुकान का नाम, पता			
वेंडर/दुकान का GSTIN:			
क्रय की राशि			
कैश मेमो नं.		दिनांक	
चुकायी गयी GST राशि		GST Rate	

संलग्नः–

1. देयक की प्रति,
2. डिजिटल पेमेंट का प्रमाण का प्रिंट

प्रार्थी

पदनाम–
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर।